न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 174/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पाबूराम पुत्र नारणाराम उम्र 68 वर्ष 2. अमियोदेवी पत्नि वैलाराम उम्र 67 वर्ष 3. ईश्वराराम पुत्र पाबूराम उम्र 35 वर्ष 4. खेताराम पुत्र वैलाराम उम्र 40 वर्ष 5. ताराराम पुत्र वैलाराम उम्र 25 वर्ष 6. धनाराम पुत्र नारणाराम उम्र 60 वर्ष 7. पुरखाराम पुत्र पाबूराम उम्र 30 वर्ष 8. पोकरराम पुत्र वैलाराम उम्र 30 वर्ष 9. बालाराम पुत्र पाबूराम उम्र 27 वर्ष 10. भीमाराम पुत्र पाबूराम उम्र 30 वर्ष 11. रावताराम पुत्र वैलाराम उम्र 45 वर्ष 12. वीराराम पुत्र पाबूराम उम्र 41 वर्ष 13. सांगाराम पुत्र वैलाराम उम्र 47 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. केसीदेवी पत्नि हुकमाराम उम्र 60 वर्ष जाति राईका निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. मोडाराम पुत्र लूंभाराम उम्र 70 वर्ष जाति सुथार निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 3. दुर्गाराम पुत्र रतनाराम उम्र 70 वर्ष 4. दानाराम पुत्र रतनाराम उम्र 60 वर्ष 5. लुंभाराम पुत्र रतनाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. बलवन्तसिंह पुत्र प्रभूसिंह उम्र 50 वर्ष 7. देवीसिंह पुत्र मेरहसिंह उम्र 50 वर्ष 8. मोनकंवर पत्नि मेहरसिंह उम्र 85 वर्ष 9. राणसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 60 वर्ष 10. सवाईसिंह पुत्र मेहरसिंह उम्र 45 वर्ष जातियान राजपूत निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 11. निम्बाराम पुत्र केहनाराम उम्र 80 वर्ष 12. प्यारीदेवी पत्नि लालाराम उम्र 70 वर्ष 13. फुआराम पुत्र पदमाराम उम्र 60 वर्ष 14. [illegible] पुत्र किस्तुराराम उम्र 65 वर्ष 15. [illegible]रोंदेवी पत्नि पदमाराम उम्र 80 वर्ष [illegible] लूणाराम पुत्र पदमाराम उम्र 50 वर्ष [illegible] लालाराम पुत्र किस्तु[illegible] उम्र 70 वर्ष जातियान कुम्हार निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 18. अचलचन्द पुत्र गुणेशमल उम्र 70 वर्ष 19. जसराज पुत्र गुणेशमल उम्र 70 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

20. पारसमल पुत्र गुणेशमल उम्र 60 वर्ष

21. भंवरलाल पुत्र गुणेशमल उम्र 75 वर्ष जातिमान खण्डेलवाल निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

22. चेतनराम पुत्र कैलाराम उम्र 28 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिड़ा हाल उप कारागृह बालोतरा जिला बाड़मेर

23. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:15 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के

उपखण्ड अधिकारी

खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतो के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की पाले या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा लोहिडा के खेत खसरा संख्या 33 रकबा 5.0077 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 44 रकबा 6.0432 हैक्टेयर कुल रकबा 11.0509 हैक्टे[illegible] स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को [illegible] है उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/[illegible] करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौ[illegible]र अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।